जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां

ADR सेंटर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, बारां (राज0)
(Phone-07453-294186 Chairman/Secretary)

क्रमांक : 797 दिनांक : 06/04/2023

—: विज्ञप्ति :—

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर के कार्यालय आदेश एफ—7(136)/रालसा/संस्था/संविदा सेवा—वाहन/2023/206 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सैवा समितियों के लिये वित्तीय वर्ष 2023—24 (दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 29.02.2024 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पूर्व मे हो) में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदो के विरूद्ध संविदा के आधार पर 65 वर्ष से कम आयु के सेवा निवृत कर्मचारी की नियुक्ति या विपरीत प्रतिनियुक्ति निम्नानुसार ली जानी हैं:—

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां — 04
2. तालुका विधिक सेवा समिति छबड़ा — 01
3. तालुका विधिक सेवा समिति शाहबाद — 01
4. तालुका विधिक सेवा समिति अटरू — 01
5. तालुका विधिक सेवा समिति छीपाबड़ोद — 01
6. तालुका विधिक सेवा समिति मांगरोल — 01
7. तालुका विधिक सेवा समिति अन्ता — 01
8. तालुका विधिक सेवा समिति किशनगंज — 01

सामान्य निर्देश:—

1. उपरोक्त पद पूर्णरूपेण अनुबन्ध पर सेवा के आधार पर होगें।
2. उपरोक्त पदों पर राज्य सरकार की सेवा से सेवा निवृत 65 वर्ष से कम आयु के स्वस्थ व्यक्ति रिक्तियों की कनिष्ठतम वेतन श्रंखला में अनुबन्ध के आधार पर आवेदन कर सकते है, सेवानिवृत न्यायिक कर्मचारी को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. संविदा के आधार पर कर्मचारी की सेवाऐं वित्तीय वर्ष 2023—24 (दिनांक 29.02.2024 तक या नियमित भर्ती होने तक जो भी पहले हो) के लिये अपेक्षित हैं, कार्मिकों की सेवा अवधि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 29.02.2024 तक या नियमित भर्ती होने तक जो भी पहले हो तक लगाया जाता है।
4. सेवा निवृत कार्मिक को मानदेय का भुगतान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
5. सेवा निवृत कर्मचारी/विपरित प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी अपने आवश्यक दस्तावेजात मय आवेदन—पत्र के साथ इस कार्यालय में दिनांक 13.04.2022 तक आवेदन कर सकते हैं ।
6. उक्त पदों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां (जिला न्यायालय परिसर) के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बारां(राज0)

क्रमांक : 812 दिनांक : 06/04/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां।
3. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां
4. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त राजस्थान।
5. श्रीमान् जिला कलेक्टर, बारां को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने बाबत्।
6. श्रीमान् अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, छबड़ा/छीपाबड़ोद/शाहबाद/मांगरोल/अटरू/अन्ता/किशनगंज।
7. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, बारां को अखबार में प्रकाशन हेतु।
8. जिला नियोजन अधिकारी, बारां
9. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां को जिला न्यायालय, बारां की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
11. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, बारां।
12. नोटिस बोर्ड, जिला कलेक्ट्रेट, बारां।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बारां (राज.)

कार्यालयः— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां (राज.)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :— ....
2. पिता/पति का नाम :— ....
3. जन्म तिथिः— ....
4. पता मय मोबाईल नम्बंर :— ....
....
....
5. आयु (दिनांक 29.02.2024) :— .... वर्ष .... माह .... दिन
6. शेक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं :— ....
7. मूल विभाग का नाम :— ....
....
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :— ....
....
9. अनुभव :— ....
....
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे)
एलपीसी संलग्न करें। ....
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें।) ....
12. धारित पद का वेतनमांन (सेवानिवृत्ति के समय) ....
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) ....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :—

स्थान :—

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती . . . . पुत्र/पत्नी . . . . जो सेवानिवृत्ति से पूर्व . . . . पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती . . . . की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती . . . . रुपये . . . . मासिक मूल वेतन (रनिंग पे वैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती . . . . .अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती . . . . के विरूद्व कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्व ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील